A 6/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेश जोशी
आर.ए.एस.

मिसल संख्याः	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
63 / अपील / 2015	20.07.2015	28.11.2019

1. छोटू आ. कजोड जाति भील निवासी ग्राम सलावलिया तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी (राज.)
2. बाबू आ. स्व. नन्दा जाति भील निवासी ग्राम सलावलिया तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी (राज.)
3. भंवर लाल आ. स्व. नन्दा जाति भील निवासी ग्राम सलावलिया तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी (राज.)
4. श्रीमती लाड बाई पुत्र स्व. नन्दा, जाति भील निवासी ग्राम सलावलिया तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी (राज.)

– अपीलांटस

– बनाम –

तहसीलदार, हिण्डोली, जिला बून्दी। –रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम, विरूद्व नामान्तकरण सं. 428 दिनांक 25.09.2008 ग्राम सलावलिया तहसील हिण्डोली एवं आदेश दिनांक 20.08.2008 तहसीलदार, हिण्डोली।

उपस्थित–
अपीलांटस की ओर से – श्री नवेद केसर, अभिभाषक।
रेस्पोडेन्ट की ओर से – पेरोकार सरकार।

–: निर्णय :–

यह अपील तहसीलदार, हिण्डोली द्वारा पारित नामा. सं. 428 दिनांक 20.09.2008 ग्राम सलावलिया तहसील हिण्डोली से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम इस न्यायालय मे पेश की गई है। अपीलाधीन नामा. सं. 428 दिनांक 20.09.2008 खातेदार नन्दा, छोटू पि. कजोड जाति भील द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का समर्पण करने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि को सिवायचक दर्ज किया गया है।

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि खतोनी सं. नई 81 पुरानी 76 व 77 की भूमि ख.सं. 1152 रकबा 03 बीघा खसरा सं. 1153 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा, खसरा सं. 1154 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, ख. सं. 1155 रकबा 15 बिस्वा, ख. सं. 1156 रकबा 17 बिस्वा, ख. सं. 1157 रकबा 01 बीघा, ख. सं. 1168 रकबा 03 बीघा, ख. सं. 1173 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा, ख.सं. 1257 रकबा 06 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 09 कुल रकबा 20 बीघा 19 बिस्वा ग्राम सलावलिया तहसील हिण्डोली में स्थित है। उक्त भूमि नन्दा छोटू पि. कजोड जाति भील के खातेदारी में दर्ज थी। जिसमें नन्दा का स्वर्गवास हो चुका है। उक्त भूमि में से भूमि खसरा सं. 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1168 व 1173 कुल किता 08 कुल रकबा 14 बीघा 03 बिस्वा भूमि को नन्दा आ. महादेव, रमेश आ. महादेव, लादू आ. महादेव, छीतर आ. गंगाराम, देवकरण आ. मांगी लाल जाति गुर्जर एवं मडिया आ. भूरा जाति कुम्हार निवासी ग्राम सलावलिया द्वारा छोटू एवं स्व. नन्दा के अनपढ़ होने का नाजायज फायदा उठाकर उन्हें बैंक से लोन दिलाने का आश्वासन देकर उन्हे तहसील हिण्डोली में ले जाकर उक्त भूमि का समर्पण करवा दिया गया। तहसीलदार हिण्डोली अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 20.08.2008 को भूमि को सिवायचक दर्ज करने का आदेश देकर अपीलाधीन नामा. सं. 428 दिनांक 25.09.2008 को उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि को सिवायचक करने हेतु छोटू एवं स्व. नन्दा को समर्पण प्रार्थना पत्र की सही जानकारी नही दी गई। छोटू एवं स्व. नन्दा के साथ आये व्यक्तियों के प्रभाव में आकर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के खाते की भूमि को सिवायचक दर्ज करने का आदेश दे दिया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामा. से भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया गया। नन्दा आ. महादेव, रमेश आ. महादेव, लादू आ. महादेव, छीतर आ. गंगाराम, देवकरण आ. मांगी लाल गुर्जर एवं मडिया आ. भूरा कुम्हार निवासी ग्राम सलावलिया, छोटू व स्व. नन्दा को उनके खाते की भूमि पर ऋण दिलाने के बहाने तहसील में ले जाकर धोखे में रखकर उक्त विवादित भूमि का समर्पण करवाया गया। तहसीलदार द्वारा सही जानकारी नहीं दी गई। उक्त विवादित भूमि का सिवायचक हाने की जानकारी नन्दा को होने पर सदमें में आकर स्वर्गवास हो गया। अपीलान्ट के साथ हुई धोखाधडी की जानकारी होने पर पुलिस थाना हिण्डोली में इस्तगासा पेश कर मुकदमा भी दर्ज करवाया गया। अतः उक्त तथ्यों पर गौर फरमाते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20.08.2018 एवं अपीलाधीन नामा. सं. 428 दिनांक

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

A 6/3

25.09.2008 निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट का नाम खातेदार के रूप में दर्ज किया जावे।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्ट छोटू व स्व. नन्दा ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी उक्त विवादित भूमि का राजपक्ष में समर्पण प्रार्थना पत्र पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने दो गवाह के समक्ष समर्पण प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खातेदारी भूमि को सिवायचक दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है तथा आदेश के अनुसार ही अपीलाधीन नामा. पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.08.2008 व नामा. 428 दिनांक 25.09.2008 के अवलोकन से जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, हिण्डोली के पास अपीलान्ट छोटू व स्व. नन्दा द्वारा समर्पण प्रार्थना पत्र उनके खातेदारी भूमि कुल किता 8 कुल रकबा 14 बीघा 03 बिस्वा का पेश होने पर भूमि को सिवायचक दर्ज करने का अदेश दिनांक 20.08.2008 को जारी कर दिनांक 25.09.2008 को सिवायचक दर्ज करने का अपीलाधीन नामा. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, हिण्डोली ने भूमि के समर्पण प्रार्थना पत्र की मौका स्थिति की जांच नहीं की गई है न ही पटवारी हल्का द्वारा या भू.अ. निरीक्षक द्वारा करवाई गई है। समर्पणकर्ताओं ने प्रार्थना पत्र में भूमि पर कब्जा नहीं होना व नाकाबिल काश्त होना बताया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस कथन की मौका स्थिति की भी जांच नहीं की गई है। अपीलान्ट की जाति भील है जो अनुसूचित जन जाति की श्रेणी के अन्तर्गत आता है। जिसकी भूमि का विक्रय स्वर्ण जाति के व्यक्तियों को नहीं हो सकता है। समर्पण में गवाह भी स्वर्ण जाति के व्यक्ति है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्टस स्वीकार कर अपीलाधीन अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20.08.2008 एवं नामा सं. 428 दिनांक 25.09.2008 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वह पक्षकारान की सुनवाई करते हुये रेकार्ड पर साक्ष्य लेते हुये पुनः निर्णय पारित करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 28.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश जोशी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)